दफ्तरों की कार्यसंस्कृति बदलने व भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम शुरू

अब समय पर पूरा होगा काम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए-2 ने सत्ता संभालते ही सरकारी दफ्तरों की कार्यसंस्कृति बदलने और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज करने की अपनी मुहिम शुरू कर दी है। जनता से जुड़ी हर सेवा के लिए विभागों में समयसीमा निर्धारित की जाएगी। काम में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगेगा। इसके लिए कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने को लोकपाल का गठन होगा।

कानून बनाने की तैयारी

हिन्दुस्तान ब्यूरो

पटना

अब राज्य के सरकारी दफ्तरों में आनाकानी नहीं चलेगी। किसी काम के लिए जनता को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है। जनता से जुड़ी हर सेवा के लिए विभागों में समयसीमा निर्धारित कर दी जाएगी।'राइट टू सर्विस एक्ट' लाकर सर्विस डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। जनता का हर काम तय समय के अंदर होगा। समय पर सेवा न दे पाने वाले अधिकारियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक सुधार की इस दिशा में पहल कर कानून की रूपरेखा तय करने का निर्देश दिया। सरकार अगले सत्र में यह कानून लागू करना चाहती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग मिलजुलकर काम करेंगे तो इसका बेहतर रिजल्ट आएगा। उन्होंने साफ कहा कि आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तरों के चक्कर काटने में होती है। छोटे-छोटे काम के लिए भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मसलन, बिजली कनेक्शन, प्रखंड या अनुमंडल से कोई प्रमाणपत्र बनवाने के लिए भी लोग परेशान होते हैं। इस दफ्तर से उस दफ्तर का दौड़ लगाते हैं। 'राइट टू सर्विस एक्ट' लाकर इसे रोका जा सकता है। उन्होंने मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार से हर विभाग के अधिकारियों से बात कर उनके संसाधन वगैरह की समीक्षा करने का निर्देश दिया। सामान्य प्रशासन विभाग दफ्तरों के संख्या बल की भी समीक्षा करेगा। सभी विभागों में जनता से जुड़ी सेवाओं के लिए अलग-अलग समय निर्धारित कर दिए जाएंगे। इस कानून के लागू होने के बाद जनता को सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने योजना एवं विकास विभाग की बैठक कर चालू वित्तिय वर्ष की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया।

नई शुरुआत

- 'राइट टू सर्विस एक्ट' से दुरुस्त होगा सर्विस डिलीवरी सिस्टम
- हर काम के लिए तय होगी अवधि:मुख्यमंत्री
- समय पर सेवा न दे पाने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना
- अब दफ्तरों में नहीं चलेगी आनाकानी

कल्याणबिगहा में अपने पिता रामलखन सिंह की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर मल्यार्पण करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। (खबर पेज-11)